राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 218 जयपुर/2009-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेहरू ज्योति पब्लिक - संस्थान, नराना तह० जमुवारामगढ़ जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12 माह जून सन् दो हजार नौ (2009) को जयपुर में किया गया।

बी० के० वर्मा
रजिस्ट्रार संस्थाएं
संस्थाएं, जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान

ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़, (जयपुर)

|| दिनांक 02.12.2016 को निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कार्यकारिणी ||

क्र.सं.	नाम मय पिता/पति	पता	पद
1.	राकेश कुमार बुनकर/घनश्याम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	अध्यक्ष
2.	ईश्वर लाल बुनकर/घनश्याम बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सचिव
3.	शम्भुदयाल बुनकर/गंगाराम	ग्राम भानपुरकलां, जिला जयपुर	कोषाध्यक्ष
4.	रामलाल मीणा/सांवतराम मीणा	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
5.	कृष्ण कुमार बुनकर/घनश्याम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
6.	चौथमल बुनकर/सीताराम	ग्राम भानपुरकलां, जिला जयपुर	सदस्य
7.	मुकेश कुमार बुनकर/ओमप्रकाश	ग्राम भानपुरकलां, जिला जयपुर	सदस्य
8.	राजेन्द्र गहलोत/कालूराम	ग्राम भानपुरकलां, जिला जयपुर	सदस्य
9.	रूपचन्द बुनकर/हनुमान सहाय	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
10.	छीतर मल मीणा/ग्यारसी लाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
11.	राजेश कुमार मीणा/छोटेलाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
12.	मिश्रा लाल सैनी/मांगूराम	[illegible]	सदस्य
13.	मुकेश कुमार शर्मा/भगवान सहाय	[illegible]	सदस्य
14.	निर्मल बुनकर/लक्ष्मण बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
15.	सुनिता खण्डेलवाल/ईश्वर लाल	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
16.	सुखचन्द मीणा/जगदीश मीणा	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	सदस्य
17.	मुकेश शर्मा/हनुमान सहाय शर्मा	ग्राम [illegible] जयपुर	सदस्य
18.	दीपेश बुनकर/राकेश कुमार बुनकर	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	छात्र प्रतिनिधि
19.	योगेश्वरी कुमारी/हेमन्त खण्डेलवाल	6/301, विद्याधर नगर, जयपुर	स्टाफ प्रतिनिधि
20.	मंगलराम मीणा/कानाराम	ग्राम नटाटा, जिला जयपुर	अभिभावक प्रतिनिधि
21.	जिला शिक्षाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर द्वितीय, जयपुर		विभागीय प्रतिनिधि

*ज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 13 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था
विषयक दस्तावेज [illegible] जो
पृष्ठ सं. ... से पृष्ठ सं. ......
तक है की सत्यप्रति है।
1. [illegible] देने की दिनांक 21/12/16
2. [illegible] तैयार करने
वाले के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

अध्यक्ष
अध्यक्ष
नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

सचिव
सचिव
नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा त. जमवारामगढ़ (जयपुर)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रपत्र

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 के अर्न्तगत

संस्था पंजीकृत कराने हेतु

आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :–

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ के विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्धेश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत ही मान्य होगा ।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये बढाए जा सकते है। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते है।
3. संस्था के उद्धेश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा की जी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में कम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित है तथा कम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें यह भी ध्यान रखे कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेंगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नही होने चाहिये।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

8. अनावश्यक को काटकर लघु हस्ताक्षर करे।

धारा –20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण कियाजा सकेगाः–

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएँ

सैनिक अनाथ निधियां " खादी और ग्रामोद्योग"

साहित्य,विज्ञान या ललितकलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएं,सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिए पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें,प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों,उपकरणों या डिजाइनों के लिए स्थापित संस्थायें।

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान–पत्र

1.संस्था का नामः– इस संस्था का नाम नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2.पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

तथा कार्यक्षेत्र जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्धेश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः–

1- बालकों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा की सैकण्डरी व्यवस्था

2- विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना

3- भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना

4- बैठकों में लिये गये निर्णयों के आधार पर संस्था के द्वारा कार्य करना।

5. अध्यापक, अभिभावक संघ के सुझाव आमंत्रित कर उन्हें लागू करना।

6- बालकों की शिक्षा का समय-समय पर मूल्यांकन करना।

7- राष्ट्रीयता के कार्यों में जनसहभागिता बढ़ाना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी

निम्नलिखित हैः–

क.सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	राकेश कुमार बुनकर पुत्र श्री घनश्याम	निजी व्यवसाय	ग्रा० पो० नेटाटा वाया-आमेर जिला-जयपुर	अध्यक्ष	Rakesh
2	ईश्वर लाल बुनकर पुत्र श्री घनश्याम	अध्यापन	ग्रा० पो० नेटाटा वाया-आमेर जिला-जयपुर	सचिव	Ishwar lal
3	शिम्भु दयाल बुनकर पुत्र श्री [illegible]	निजी व्यवसाय	ग्रा० पो० भानपुर कलॉ, वाया आमेर	कोषाध्यक्ष	शिम्भु दयाल
4	राम लाल मीणा पुत्र श्री सांवताराम	निजी व्यवसाय	ग्रा० पो०-नेटाटा वाया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	रामलाल
5	कृष्ण कुमार बुनकर पुत्र श्री घनश्याम	अध्यापन	ग्रा० पो० नेटाटा वाया-आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	कृष्ण
6	चौथमल बुनकर पुत्र श्री सीताराम	निजी व्यवसाय	ग्रा० पो०-भानपुर कलॉ वाया आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	चौथमल
7	मुकेश कुमार बुनकर पुत्र ओम प्रकाश	निजी व्यवसाय	ग्रा० पो० भानपुर कलॉ वाया आमेर जिला-जयपुर	सदस्य	मुकेश

Rakesh
अध्यक्ष

Ishwar lal
मंत्री

शिम्भु दयाल
कोषाध्यक्ष

8	राजेन्द्र गेहलोत पुत्र श्री कालु राम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	राजेन्द्र
9	रूपचन्द बुनकर पुत्र श्री हनुमान	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	रूपचन्द
10	छित्तरमल मीणा पुत्र श्री घासीलाल	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	छित्तर
11	राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री छोटीलाल	अध्यापन	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	सदस्य	[illegible]
12.	मिश्रा लाल सैनी S/o श्री [illegible] सैनी	अध्यापन	ग्रा.पो. [illegible] जिला - अलवर	सदस्य	मिश्रा सैनी
13.	मुकेश कुमार शर्मा S/o श्री [illegible] सहाय शर्मा	अध्यापन	ग्रा.पो. [illegible] तहसील आमेर	सदस्य	मुकेश

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है,

इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:-

कम संख्या	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	बबलु बुनकर S/o श्री कुन्दन बुनकर	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	Bablu
2.	योगेश बुनकर S/o श्री सीताराम	अध्यापन	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	Yogesh
3.	अजय मीणा S/o श्री सांवताराम मीणा	अध्यापन	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	अजय
4.	बनवारीलाल योगी S/o श्री सीताराम योगी	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	बनवारीलाल योगी
5.	श्याम सुन्दर बुनकर S/o श्री कालुराम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	श्याम सुन्दर
6.	हनुमान सहाय रात S/o लच्छू राम रात	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	हनुमान
7.	राजेन्द्र रात S/o श्री नारायण रात	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	राजेन्द्र
8.	गोपाल लाल मीणा S/o श्री पांचु राम मीणा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर ढाणी करेलान जिला - जयपुर	गोपाल
9.	जगदीश प्रसाद मीणा S/o श्री श्योजी राम	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल, तहसील आमेर, जिला - जयपुर	जगदीश प्रसाद
10.	गजेन्द्र मीणा S/o श्री भगवान सहाय	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	Gm
11.	जितेन्द्र मीणा S/o श्री कालुराम मीणा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	जितेन्द्र मीणा
12.	अशोक कुमार खींची S/o श्री लखन खींची	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	अशोक कुमार
13.	बलवीर परेवा S/o सेडूराम परेवा	निजी व्यवसाय	ग्रा.पो. नांगल तहसील आमेर जिला - जयपुर	बलवीर
14.	गोपाललाल मीणा S/o श्री महादेवप्रसाद	अध्यापन	ग्रा.पो. नांगल, ढाणी महलां की, तहसील आमेर जिला - जयपुर	Gopal
15.	चन्द्र प्रकाश सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी	अध्यापन	ग्रा.पो. [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर	चन्द्र प्रकाश

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नही है।

Raky	Yeshwant lal	[illegible] दयाल
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

लालाराम

1.हस्ताक्षर घनश्याम 2 हस्ताक्षर

(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता) (नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)

नाम- घनश्याम बुनकर S/o प्रभातबुनकर नाम - लालाराम मीणा S/o कल्याण सहाय मीणा

व्यवसाय - नौकरी (BSNL) RM व्यवसाय - नौकरी (आपकारी विभाग)

पूर्णपता - ग्रा. पो. नटाटा पूर्ण पता - ग्रा. पो. नटाटा,

वाया - आमेर मोहल्ला - झिड़ला की ढाणी

जिला - जयपुर वाया - आमेर

पिन कोड नं. 302028 जिला - जयपुर

पिन कोड नं. 302028

ATTESTED NOTARY PUBLIC 26 MAY 2009

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान नियमावली

218 ... नेहरू ज्योति पब्लिक ... 1 6 ... 12/6/09

1.संस्था का नामः— इस संस्था का नाम नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान नटाटा समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2.पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नटाटा है—

कार्यक्षेत्र जयपुर —क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्धेश्यः— इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः—

---

1 बालकों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था

2 विद्यालय का चहुँमुखी विकास करना

3 भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देना

4 बैठको में लिये गये निर्णयों के आधार पर संस्था के द्वारा कार्य करना।

5 अध्यापक अभिभावक संघ के सुझाव आमंत्रित कर उन्हे लागू करना,

6 बालको की शिक्षा का समय-समय पर मूल्यांकन करना,

Patel अध्यक्ष

Ishwar lal मंत्री

शिम्भू दयाल कोषाध्यक्ष

7-राष्ट्रीयता के कार्यों में जन सहभागिता करना)

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4.सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे

संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

बालिग हो।

पागल,दीवालिये न हो।

संस्था के उद्धेश्यों में रु5. चि व आस्था रखते हों।

संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5.सदस्यों का संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–

वर्गीकरण 1. सरंक्षक

विशिष्ठ

सम्माननीय

साधारण

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

6.सदस्यों द्वारा उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा

प्रदत्त शुल्क व चन्दा — निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:–

संरक्षक राशि–1100 वार्षिक/आजन्म

विशिष्ठ राशि–500 वार्षिक/आजन्म

सम्माननीय राशि 251 वार्षिक

साधारण राशि –101 वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रू0 –1952–

मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

मृत्यु होने पर

त्याग पत्र देने पर

संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर

Rak अध्यक्ष — Yshwar Lal मंत्री — शिम्भू दयाल कोषाध्यक्ष

प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभाः– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे–

प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

वार्षिक बजट पारित करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें :– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर

विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

साधारण की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।

बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, केलिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना, अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11.कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकप्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा,

जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

अध्यक्ष– एक

उपाध्यक्ष– एक

मंत्री– एक

कोषाध्यक्ष– एक

सदस्य– सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्यकुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेंगा।

2. चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेंगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तवय:-संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:-

सदस्य बनाना / निष्कासित करना।

वार्षिक बजट तैयार करना।

संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।

कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

Rakes
अध्यक्ष

Yashwant Lal
मंत्री

शिम्भू दयाल
कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी बैठकें:–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम –– बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकती है।

2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधें से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी।लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे,जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।इस सभा कीकार्यवाही की पुष्ठि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्षः

बैठकों की अध्यक्षता करना।

मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना

बैठकें आहूत करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रइदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मंत्रीः

बैठकें आहूत करना।

कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

वैत निक कर्मचारियों पर नियंन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

पत्र व्यवहार करना।

सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4. उप मंत्रीः

मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मन्त्री द्वारा सौपे जावें।

5– कोषाध्यक्षः

वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

चन्द / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोषः–संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

चन्दा

शुल्क

अनुदान

सहायता

राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेंगी।

अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः–

अध्यक्ष---2000----------रू0

मंत्री------1000----------रू0

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष—1000— रू0

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षणः— संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धनः— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदसयों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटनः— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण :— रजिस्ट्रार संस्थाएं—जयपुर— को संस्था के रेकार्ड लेखे जोखेके निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. 1 से पृष्ठ 12 तक है, की सत्यप्रति है।
1. नकल देने की दिनांक 19/06/18
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक ...2/18...
2. संस्था का नाम ...नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान 2/41
5. ...16...
6. ...12/6/04
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष